संख्या-27/2022/1023/78-2-2022-1606785

प्रेषक,

कुमार विनीत,

विशेष सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,

कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु थर्ड पार्टी ऑडिटर का चयन करते हुए इम्पैक्ट असिस्मेंट हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक, सीईजी के पत्र संख्या-सीईजी/पी/टीपीए/152/244/2022 दिनांक 01-08-2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु थर्ड पार्टी ऑडिटर का चयन करते हुए इम्पैक्ट असिस्मेंट हेतु कुल धनराशि रू0- रू0- 93,65,070.00 (तिरानबे लाख पैसठ हजार सत्तर रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-17/2022/बी-1-574/दस-2022-16/94,दिनांक 29 जुलाई, 2022 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृत इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एमओयू / कार्यादेश की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक यूपीएलसी द्वारा धनराशि अहरित कर राज्य समन्वयक सीईजी को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।
7. भुगतान से पूर्व राज्य समन्वयक, सीईजी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलो को सत्यापित करा लेंगे।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/ राज्य समन्वयक सीईजी धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें।
11. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक यूपीएलसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष "2852 उद्योग-07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202- इलेक्ट्रानिक्स -31- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल -3101 पोर्टल पर उपलब्ध शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता हेतु थर्ड पार्टी आडिट-16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान '' के नामे डाला जायेगा।
13. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. राज्य समन्वयक सीईजी गोमतीनगर लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी,लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावर ट्रानिक्स लि0, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
12. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।